प्रेशक

आयुक्त एंवसचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एंव पिछडे वर्ग
कल्याण विभाग, चण्डीगढ़ ।

सेवामें

निदेशक,
अनुसूचित जातियां एंव पिछडे वर्ग
कल्याण विभाग हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

क्रमांक 463 – स0क0 (1) –09
दिनांक 01–03–2009

विशयः– **अनुसूचित जाति/विमुक्त जाति के व्यक्तियों को मकान निमार्ण हेतु अनुदान योजना–स्कीममें संशोधन करने बारे ।**

—————

उपरोक्त विशय पर सरकार के पत्र क्रमांक 1059–स0क0(1)2006–(235) दिनांक 1.5.2006 के निरन्तर में ।

2. विशय लिखित स्कीम में सरकार द्वारा 1.4.2008 सेनिम्नानुसार संशोधन/प्रावधान करने का निर्णय लिया गया हैः–

1. वर्तमानमें स्कीममें प्रार्थी के पास कम से कम 50 वर्गगज के प्लाट होने का प्रावधान है । भाहरी क्षेत्र (नगर पालिका क्षेत्र) में भूमि की दिक्कत को देखते हुए भाहरी क्षेत्रोंमें यह सीमा 35 वर्गगज की जाती है । जबकि ग्रामीण क्षेत्रोंमें प्लाटकी सीमा न्यूनतम 50 वर्गगज ही रहेगी ।

2. जहांतक कच्चे मकान की परिभाशा का सम्बन्ध है ऐसे मकान को भी कच्चा माना जाये जिसकी दिवारें पिल्ली/खुरी हुई ईटों से बनी हुई हों ।

3 यदि किसी मकान की दो दीवारें कच्ची हों तो उस मकान को भी कच्चे मकान की श्रेणी में शामिल माना जाए और अनुदान मिलने पर आवेदक चारों दिवारें पक्की करेगा ।

4. जिन व्यक्तियों के पास रहने के लिये केवल एक छप्परवाला मकान है और रहने के लिये कोई दूसरा मकान नही है तथा जिनकी दिवारें लगभग 4 फिट की हों और जिसकी छत घासफूस की हो, घासफूस की है या कडियों की हो उसे कच्चे मकान की श्रेणी में माना जाएगा ।

5. जिन व्यक्तियों के पास एक ही पक्का कमरा हो और उसके शादी शुदा बच्चे उनके साथ रहते हैं, चाहे उनका राशनकार्ड सयुंक्त परिवार का हो बार्तेकि उनके पास 35/50 वर्गगज का अन्य प्लाट हो अथवा जिनके पास पक्का मकान है परन्तु उनकी पारिवारिक आव यकताओं के अनुरुप मकान छोटा है तथा मकान बढोतरी के लिए पर्याप्त स्थान/छत उपलब्ध है वह मकान अनुदान प्राप्त करने के पात्र होगे।

6. मुरम्मत योग्य मकान की परिभाशामें बाढ़ या प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त, सड़क/गलीसे नीचे के मकान, पक्की ईन्टों से बना मकान परन्तु छत/शहतीर या कम से कम दो कडियॉ क्षतिग्रस्त हो चुकी हो या छत की हालात खराब हो या जिनकी दिवारे खराब स्थितिमें हों उन मकानों को मुरम्मत की श्रेणी में माना जाए ।

7. ऐसे व्यक्ति जिन्होने पहले विभाग से मकान स्कीम के अन्तर्गत मकान निमार्ण/मुरम्मत हेतु अनुदान लिया हो वह 10 वर्श पश्चात ही मकान की मुरम्मत/बढोतरी आदि हेतु अनुदान के पात्र होगें । जिन्होने पहले अनुदान न लिया हो, उनकी स्थितिमें यह भार्त लागू नहीं होगी ।

8. स्कीम के अन्तर्गत लाभपात्र बी0पी0एल0 की सूची से लिए जायेगें जिसमें जीरो लेवल को प्राथमिकता देते हुए बी0पी0एल के प्रथम लेवल तथा द्वितीय लेवल के व्यक्तियों को भी वरिश्ठता अनुसार कवर किया जाएगा ।

9 इस स्कीम की अन्य भार्ते व पात्रता यथावत रहेंगी ।

—हस्त—
संयुक्त सचिव,
कृतेः आयुक्त एंव सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एंव पिछड़े वर्गकल्याण विभाग, चण्डीगढ़ ।

पृ0क्रमांक 463 – स0क0 (1) –09 दिनांक 01–03–2009

इसकी प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आव यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :–

1. महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी), हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
2. महालेखाकार (आडिट), हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
3. सभी उपायुक्त, हरियाणा राज्य में ।
4. सभी जिला कल्याण अधिकारी, हरियाणा राज्य में ।

–हस्त–
संयुक्त सचिव,
कृतेः आयुक्त एंव सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एंव पिछड़े वर्गकल्याण विभाग, चण्डीगढ़ ।

इसकी प्रति विता युक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्तविभाग को उनके अ ाा : क्रमाक 8/4/2000–5एफ0जी0 ।। (394), दिनाक 1–3–2009 के सन्दर्भमें सूचनार्थ भेजी जाती है ।

–हस्त–
संयुक्त सचिव,
कृतेः आयुक्त एंव सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एंव पिछड़े वर्गकल्याण विभाग, चण्डीगढ़ ।